

टी.12020/02/2017-डीसीसी (आयुष)

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
औषधि नीति अनुभाग

एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक-3, दूसरी मंजिल

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023

दिनांक: 4 अक्टूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: आयुष मंत्रालय के अंतर्गत बीमा क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों के एक कोर ग्रुप के गठन के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को आयुष पद्धतियों के लिए बीमा कवरेज से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 13 जुलाई 2023 को सचिव, आयुष मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का उल्लेख करते हुए आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आयुष मंत्रालय के तहत बीमा क्षेत्र के लिए विशेषज्ञों का एक कोर ग्रुप स्थापित किया गया है जिसका गठन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	सदस्य एवं पदनाम	भूमिका
1.	प्रो. बिजोन कुमार मिश्र, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ	अध्यक्ष
2.	डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार (आयु.), आयुष मंत्रालय	सदस्य सचिव
3.	डॉ. मुकुल पटेल, उपाध्यक्ष, गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जामनगर	सदस्य
4.	प्रो. डॉ. नारायण गंगाधर शहाणे, कंसल्टिंग आयुर्वेदिक सर्जन एवं यूरोलॉजिस्ट, चिकित्सा निदेशक ब्रह्म आयुर्वेद	सदस्य
5.	श्री राजीव वासुदेवन, अध्यक्ष, सीआईआई आयुर्वेद समूह, सीईओ-आयुर्वेद अस्पताल	सदस्य
6.	सदस्य, आईआरडीएआई- नामांकन द्वारा	सदस्य
7.	सदस्य, जीआईपीएसए- नामांकन द्वारा	सदस्य
8.	सदस्य, बीमा सूचना ब्यूरो-नामांकन द्वारा	सदस्य
9.	डॉ. साकेत राम, ओएसडी, आयुष मंत्रालय,	सदस्य

3. समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं;

क. आयुष क्षेत्र में बीमा संबंधी मामलों में सलाह देना और निगरानी करना।

ख. सभी हितधारकों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।

ग. स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आयुष पद्धतियों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना तथा एक श्वेत पत्र तैयार करना।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(मदन लाल मीणा)

सेवा में,

1. प्रो. विजोन कुमार मिश्र, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ।
2. डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार (आयु.), आयुष मंत्रालय।
3. डॉ. मुकुल पटेल, उपाध्यक्ष, गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, जामनगर।
4. प्रो. डॉ. नारायण गंगाधर शहाणे, कंसल्टिंग आयुर्वेदिक सर्जन एवं यूरोलॉजिस्ट, चिकित्सा निदेशक।
5. श्री राजीव वासुदेवन अध्यक्ष, सीआईआई आयुर्वेद समूह, सीईओ-आयुर्वेद अस्पताल।
6. अध्यक्ष, आईआरडीएआई, आईआरडीएआई से नामांकन हेतु अनुरोध सहित।
7. वरि. उपाध्यक्ष, जीआईपीएसए- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बीमा कंपनियों से चिकित्सा विशेषज्ञों के नामांकन के अनुरोध सहित।
8. सीईओ, बीमा सूचना ब्यूरो - विशेषज्ञों के कोर ग्रुप के लिए सदस्य के नामांकन के अनुरोध सहित।
9. डॉ. साकेत राम, ओएसडी, आयुष मंत्रालय।

प्रतिलिपि :-

1. सचिव (आयुष) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
2. संयुक्त सचिव (बीकेएस) प्रधान निजी सचिव।
3. डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार (आयु.) के प्रधान निजी सचिव।